Email: cswriavikanagar@yahoo.com
दूरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान

अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501

ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute

Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

क्रमांकः 6(204)एसपी / 2009 / खण्ड तृतीय / 1485 दिनांकः 31.08.2019

निमित्त,

मै0 मोहतेशम अली
मोहल्ला सादात, मालपुरा
जिला टोंक, राजस्थान – 304502

विषय : संस्थान में जलापूर्ति करने, इससे सम्बन्धित रख–रखाव करने एवं विभिन्न सैक्टरों पर स्थापित कृषि कार्य व जलापूर्ति कार्यो में प्रयुक्त हो रही सबमर्सिबल पम्प मोटरों / मोनो ब्लोक मोटर / जेट पम्प इत्यादि के जल जाने / खराब होने की स्थिति में रिपेरिंग / बाईडिंग व मोटर डालने / निकालने से संबंधित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध (जॉब कोन्ट्रेक्ट) के आधार पर करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत ई–निविदा क्रमांक 1700167 दिनांक 29.07.2019 के तहत दी गई निम्नलिखित दरें सभी करों एवं खर्चो सहित निदेशक महोदय ने स्वीकार कर ली है। अतः निम्नलिखित शर्तो पर अनुबन्ध आदेश जारी किया जाता है–

क.सं0	विवरण	दर प्रति माह
1.	संस्थान में जलापूर्ति व इससे सम्बन्धित रख–रखाव की दर प्रतिमाह सभी करो एवं खर्चो सहित	रू.24500.00
संस्थान के विभिन्न सैक्टरों एवं फील्ड में स्थापित सबमर्सिबल पम्पमोटर / मोनो ब्लौक / जैट मोटर इत्यादि के जल जाने / खराब होने की स्थिति में रिवाइडिंग / रिपेयर से संबंधित कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामानों / पार्टस की रेट / दर निम्नानुसार है –		दर प्रति नग
2.	सबमर्सिबल पम्प मोटर निकालने व पुनः डालने का कार्य	रू.3100.00
3.	सबमर्सिबल मोटर बाइडिंग (5HP/3 PH /8-10Stage)	रू.3000.00
4.	सबमर्सिबल मोटर बाइडिंग (10HP/3 PH /8-17Stage)	रू.500.00
5.	एम्पलुअर की सर्विस व फिटिंग चार्ज	रू.800.00
6.	एम्पलुअर सैट (प्रति सैट)	रू.500.00
7.	बियरिंग	रू.400.00
8.	थ्रस्ट बैयरिंग प्लैट	रू.200.00
9.	शाफट,बुश सैट	रू.600.00
10.	क्लच, प्लैट	रू.40.00
11.	लैंथ वर्क फॉर शॉफट	रू.80.00
12.	मोनोब्लॉक बूस्टर मोटर बाइडिंग (5HP/3PH/440vatt)	रू.700.00
13.	मोनोब्लॉक बूस्टर मोटर बाइडिंग (7.5HP/3 PH /440Vatt)	रू.1000.00
14.	मोनोब्लॉक बूस्टर मोटर बाइडिंग (10HP/3 PH /440Vatt)	रू.3000.00
15.	मोनोब्लॉक बूस्टर मोटर बाइडिंग(15HP/3 PH /440Vatt)	रू.1500.00
16	बियरिंग	रू.200.00
17.	ऑयल सिल	रू.80.00
18.	ग्लैन डोरी	रू.40.00
19.	ग्रिसिंग	रू.10.00
20.	लैथं वर्क फोर शॉफट	रू.100.00
21.	कनैक्शन प्लेट	रू.20.00
22.	PVCफैन ब्लैड फोर मोटर	रू.80.00
23.	क्लच प्लेट	रू.20.00

नियम व शर्ते :– (01-09-2019 to 31/8/2020)

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से एक वर्ष तक रहेगी। कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है। कार्य संतोषजनक रहने पर कार्य अवधि एक वर्ष तक आगे बढाई जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

2. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण, समय से पूर्व छोड़ने असंतोषजनक रहने अथवा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमान राशि जब्त करली जावेगी।
3. ठेकेदार/प्रतिनिधि को अनुबन्ध की अवधि में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा। यदि कोई नुकसान/चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
4. संस्थान के ट्यूबवेलों मे से पीने के पानी की सप्लाई हेतु 6 पम्प काम में लिये जा रहे हैं, अगर पम्पों की संख्या ज्यादा होने पर भी इन सभी को रात–दिन बिजली रहते चलाना होगा।
5. बिसलपुर के पानी की सप्लाई हेतु बने सेम्पवेल जिसमें बिसलपुर का पानी आता है, उससे पीने के पानी की सप्लाई करनी होगी।
6. संस्थान के आवासीय मकानों में सुबह–शाम तथा गैर आवासीय भवनों में आवश्यकतानुसार पानी स्पलाई करना होगा।
7. सेक्टर नं. 9 पर बने नव निर्मित किसान घर, कच्चाबन्धा एरिया, पशु स्वास्थ्य विभाग, केन्दीय विद्यालय, प्लांन्ट, कैन्टीन, गैस्टहाउस, पी.जी. हॉस्टल, मांस विज्ञान, वर्कशाप आदि में आवश्यकतानुसार जलापूर्ति करनी होगी।
8. संस्थान के सभी कृषि कार्य एवं पीने के पानी के ट्यूबवेल के सबमर्शिबल पम्प, बूस्टर आदि के खराब होने पर मोटर निकालना व मरम्मत के बाद वापस डालना होगा। सबमर्शिबल पम्प की मरम्मत का कार्य संस्थान द्वारा करवाया जावेगा।
9. पम्पों पर बिजली स्पलाई खराब होने पर प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग को सूचित कर ठीक करवाना होगा।
10. **मोटर, पम्प व बुस्टर यथाशीघ्र ठीक करवाना होगा व प्रत्येक मोटर, पम्प व बुस्टर पर रिवाईडिंग/रिपेयर पर कम से कम 15 दिवस की वारंटी देय होगी। यदि इन प्रन्द्रह दिवस के पहले मोटर, पम्प व बूस्टर खराब होने की स्थिति में रिवाईडिंग/रिपेयर तथा मोटर, पम्प व बूस्टर को निकालने व डालने का खर्च ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।**
11. वाटर स्पलाई हेतु आवश्यकतानुसार निश्चित समय अवधि में वाल्व खोलना एवं बन्द करना होगा, सप्लाई वाल्स खराब होने पर सम्पदा अनुभाग के शिकायत पंजिका में शिकायत करना होगा। समय पर वाल्व ठीक कराना होगा।
12. सभी सम्पवेलो (अण्डरग्राउण्ड टेंक) एवं ओवरहेड टेंकों की वर्ष में दो बार खाली कर सफाई करनी होगी।
13. सम्पवेलो (अण्डरग्राउण्ड टेंक) में हर माह के प्रथम शनिवार को उचित अनुपात में लाल दवा (पोटेशियम परमेगनेट) डालनी होगी जिसके लिये प्रभारी, आई0ई0यू0 या उनके प्रतिनिधियों व प्रभारी, मानव चिकित्सालय या उनके प्रतिनिधि से दिशानिर्देश प्राप्त करने होगें।
14. वाटर सप्लाई के सभी पम्प, पम्प हाउस, विद्युत मोटर, विद्युत पेनल, सप्लाई वाल आदि की सम्पूर्ण सुरक्षा का दायित्व ठेकेदार का होगा। चोरी होने पर इनकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जावेगी।
15. वाटर सप्लाई के सभी वाटर पम्प चलाने एवं मरम्मत व रख–रखाव की जिम्मेदारी स्वयं अनुबंधकर्ता की होगी। मरम्मत कार्य हेतु वाहन एवं मरम्मत में लगने वाला खर्च संस्थान का होगा।
16. अनुबन्धकर्ता को पम्प हाउस वाल्व एवं ओवरहेड टेंक के आस–पास खरपतवार की पूर्ण सफाई करनी होगी।
17. ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता जलापूर्ति से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य प्रभारी, आई0ई0यू0 अथवा प्रतिनिधि के निर्देशानुसार करना होगा।
18. जलापूर्ति से संबंधित बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा संतोषजनक कार्य करने पर प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग को प्रति माह बिल (तीन प्रतियों में) प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान मासिक आधार पर नियमित समय पर किया जाएगा।
19. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वंय रोजाना प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी अधिकारी के दिशा–निर्देशानुसार सुचारू–रूप से करते रहेगें ऐसा नही होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को भी जब्त किया जा सकता हैं।
20. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
21. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। EPF/ESI के पिछले भुगतान की चालान की प्रति अगले माह के बिल के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
22. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार सेवाकर/आयकर (Goods & Service Tax/Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।

23. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।

24. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा। उनकी वर्दी/जूते/नाम पट्टिका व आवश्यक टूल्स उपलब्ध कराना होगा। उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान–पत्र आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।

25. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।

26. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।

27. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।

28. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।

29. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

30. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(सुरेश कुमार)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी